दिनांक 29.04.2021
प्रेस विज्ञप्ति 29/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एसटीएफः पुलिस अधीक्षक जनपद औरेया द्वारा रू0 20,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी धर्मेन्द्र कंजड़ एस0टी0एफ0 उ0प्र0 द्वारा गिरफ्तार।

दिनांक 29–04–2021 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को थाना बेला, जनपद औरेया से वांछित व रू0 20,000/–का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी धर्मेन्द्र कंजड़ गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

धर्मेन्द्र कंजड़ पुत्र रामनारायण कंजड़ नि0 मक्का का पुरवा, थाना शिवराजपुर, जनपद कानपुर नगर।

अभियुक्त से बरामदगी–

1–01 अदद तमन्चा 315 बोर

2–02 अदद कारतूस 315 बोर ।

3–01 अदद मोटर साईकिल डिस्कवर

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय–

दिनांक 29–04–2021, समय 00:25 बजे, स्थान वीरानमऊ–मक्कापुरवा तिराहा, थानान्तर्गत शिवराजपुर, जनपद कानपुरनगर।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाएँ कारित करने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थीं। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री प्रमेश शुक्ला, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 उ0प्र0, लखनऊ के नेतृत्व में एस0टी0एफ0 मुख्यालय द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के माध्यम से ज्ञात हुआ कि मु0अ0सं0 314/2020 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट एवं मु0अ0सं0 100/21 धारा 307 भादवि थाना बेला, जनपद औरेया मे वांछित अभियुक्त धर्मेन्द्र कंजड़ कस्बा शिवराजपुर क्षेत्र में छिपकर कहीं रह रहा है। इस सूचना को विकसित करने हेतु एस0टी0एफ0 मुख्यालय से मुख्य आरक्षी बरनाम सिंह एवं आरक्षी मुनेन्द्र सिंह थाना शिवराजपुर क्षेत्र में भेजा गया, जहाँ मुखबिर द्वारा बताया गया कि धर्मेन्द्र कंजड़ वीरानमऊ से अपने गाँव मक्का पुरवा जायेगा। मुखबिर से प्राप्त इस सूचना को स्थानीय पुलिस से साझा कर उपरोक्त स्थान पर गाढ़ाबंदी कर उपरोक्त अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त धर्मेन्द्र कंजड़ ने पूछताछ पर बताया कि जनपद औरेया में कई स्थानों पर उसने अपने मौसेरे भाई अनूप के साथ मिल कर लूट की घटना को अंजाम दिया। अनूप को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। वह पुलिस से बच—बचा कर कानपुर नगर क्षेत्र में फरारी काट रहा था।

<u>अभियुक्त का आपराधिक इतिहास—</u>

1— मु0अ0स0 173/2020 धारा 392/411 भादवि थाना बेला, जनपद औरेया।

2— मु0अ0स0 178/2020 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना बेला, जनपद औरेया।

3— मु0अ0स0 314/2020 धारा 2/20 यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट थाना बेला, जनपद औरेया।

4— मु0अ0स0 322/2020 धारा 392/411 भादवि थाना बेला, जनपद औरेया।

5— मु0अ0स0 100/2021 धारा 307 भादवि थाना बेला, जनपद औरेया।

6— मु0अ0स0 65/2021 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना शिवराजपुर, जनपद कानपुर नगर।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना शिवराजपुर, जनपद कानपुर नगर एवं थाना बेला, जनपद औरेया द्वारा सम्पादित की जा रही है।

जनपद अमरोहा/थाना रजबपुर

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार,**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 28.04.2021 को थाना रजबपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भटपुरा ग्राम के निकट गंगनहर की पट्टी से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त दीपक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना रजबपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 134/2021 धारा 147/148/149/323/336/307/506 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना रजबपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—दीपक निवासी ग्राम आरिफपुर माफी थाना रजबपुर जनपद अमरोहा।

बरामदगीः—

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, जीवित कारतूस।

———